

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	जिलाधिकारी/जनपद
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, शाही	जिलाधिकारी, बरेली
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, मीरगंज	जिलाधिकारी, बरेली
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, ठिरिया निजामत खां	जिलाधिकारी, बरेली
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, फतेहगंज पूर्वी	जिलाधिकारी, बरेली
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, रिछा	जिलाधिकारी, बरेली
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सेंथल	जिलाधिकारी, बरेली
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अल्लागंज	जिलाधिकारी, शाहजहांपुर
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, खुदागंज	जिलाधिकारी, शाहजहांपुर
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, नबावगंज	जिलाधिकारी, उन्नाव
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, भगवन्तनगर	जिलाधिकारी, उन्नाव
11	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत रसूलाबाद	जिलाधिकारी उन्नाव
12	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत मोहान	जिलाधिकारी उन्नाव
13	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत गंजमुरादाबाद	जिलाधिकारी उन्नाव
14	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत ऊगू	जिलाधिकारी उन्नाव
15	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बीघापुर	जिलाधिकारी उन्नाव
16	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत औरास	जिलाधिकारी उन्नाव
17	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत न्योतनी	जिलाधिकारी, उन्नाव
18	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत सीढपुरा	जिलाधिकारी कासगंज
19	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत भरगैन	जिलाधिकारी कासगंज
20	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत एलम	जिलाधिकारी शामली

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 31 जनवरी, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी०पी०आर० उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पंचायतों के

सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशायी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 05.02.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में)
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, शाही	20.00
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, मीरगंज	20.00
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, ठिरिया निजामत खां	20.00
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, फतेहगंज पूर्वी	40.00
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, रिछा	40.00
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सेंथल	120.00
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अल्लागंज	20.00
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, खुदागंज	30.00
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, नबावगंज	20.00
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, भगवन्तनगर	20.00
11	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत रसूलाबाद	30.00
12	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत मोहान	20.00
13	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत गंजमुरादाबाद	30.00
14	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत ऊगू	40.00
15	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बीघापुर	40.00
16	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत औरास	20.00
17	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत न्योतनी	20.00
18	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत सीढपुरा	30.00
19	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत भरगैन	50.00
20	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत एलम	50.00

2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।
- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रु० 40.00 लाख तक के आगणन का अधिशायी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर

✓


शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।

(4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।

(5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यो को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।

भयदीय,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।
✓

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	जिलाधिकारी/जनपद
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, गरौठा	जिलाधिकारी, झांसी
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कटेरा	जिलाधिकारी, झांसी
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, एरच	जिलाधिकारी, झांसी
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अशरफपुर किछौछा	जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, चकिया	जिलाधिकारी, चन्दौली
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अकबरपुर	जिलाधिकारी, कानपुर देहात
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सिकन्दरा	जिलाधिकारी, कानपुर देहात
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अमरौधा	जिलाधिकारी, कानपुर देहात
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, रुरा	जिलाधिकारी, कानपुर देहात
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, रसूलाबाद	जिलाधिकारी, कानपुर देहात
11	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत अछल्दा	जिलाधिकारी औरैया
12	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बुढाना	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर
13	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत सिसौली	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर
14	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत शाहपुर	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर
15	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत उसहेत	जिलाधिकारी बदायूं
16	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत सैदपुर	जिलाधिकारी बदायूं
17	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत फैजगंज	जिलाधिकारी, बदायूं
18	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत कछला	जिलाधिकारी बदायूं
19	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत महाराजगंज	जिलाधिकारी रायबरेली
20	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत परसदेपुर	जिलाधिकारी रायबरेली



नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 31 जनवरी, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी0पी0आर0 उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पंचायतों के

सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशायी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 05.02.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में)
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, गरौठा	20.00
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कटेरा	30.00
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, एरच	30.00
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अशरफपुर किछौछा	30.00
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, चकिया	40.00
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अकबरपुर	35.00
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सिकन्दरा	40.00
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अमरौधा	20.00
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, रूरा	30.00
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, रसूलाबाद	30.00
11	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत अछल्दा	30.00
12	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बुढाना	30.00
13	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत सिसौली	30.00
14	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत शाहपुर	35.00
15	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत उसहेत	20.00
16	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत सैदपुर	30.00
17	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत फैजगंज	20.00
18	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत कछला	20.00
19	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत महाराजगंज	35.00
20	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत परसदेपुर	35.00

2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।
- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रु० 40.00 लाख तक के आगणन का अधिशायी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर

शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।

(4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।

(5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यो को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	जिलाधिकारी/जनपद
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, मऊआइमा	जिलाधिकारी, इलाहाबाद
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, भारतगंज	जिलाधिकारी, इलाहाबाद
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, लालगोपालगंज	जिलाधिकारी, इलाहाबाद
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कोरांव	जिलाधिकारी, इलाहाबाद
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, मडियांहू	जिलाधिकारी, जौनपुर
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, खेतासराय	जिलाधिकारी, जौनपुर
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, मछलीशहर	जिलाधिकारी, जौनपुर
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, नगराम	जिलाधिकारी, लखनऊ
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, गोसाईगंज	जिलाधिकारी, लखनऊ
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, मलिहाबाद	जिलाधिकारी, लखनऊ
11	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत काकोरी	जिलाधिकारी लखनऊ
12	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत महौना	जिलाधिकारी लखनऊ
13	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बक्शी का तालाब	जिलाधिकारी लखनऊ
14	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत घोरावल	जिलाधिकारी सोनभद्र
15	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत खेकड़ा	जिलाधिकारी बागपत
16	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत टीकरी	जिलाधिकारी बागपत
17	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत छपरोली	जिलाधिकारी, बागपत
18	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत अमीनगर सराय	जिलाधिकारी बागपत
19	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बहुआ	जिलाधिकारी फतेहपुर
20	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत कोटरा	जिलाधिकारी जालौन

५

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 31 जनवरी, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी०पी०आर० उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये है। अतः निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पंचायतों के सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशायी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए

५

दिनांक 05.02.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी निकाय का नाम	कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में)
1	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, मऊआइमा	30.00
2	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, भारतगंज	30.00
3	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, लालगोपालगंज	30.00
4	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, कोरांव	20.00
5	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, मडियांहू	40.00
6	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, खेतासराय	20.00
7	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, मछलीशहर	20.00
8	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, नगराम	30.00
9	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, गोसाईगंज	30.00
10	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, मलिहाबाद	35.00
11	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत काकोरी	35.00
12	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत महौना	35.00
13	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत बक्शी का तालाब	35.00
14	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत घोरावल	35.00
15	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत खेकडा	30.00
16	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत टीकरी	30.00
17	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत छपरौली	30.00
18	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत अमीनगर सराय	20.00
19	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत बहुआ	30.00
20	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत कोटरा	35.00

2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत कि जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।
- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रु० 40.00 लाख तक के आगणन का अधिकाारी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर




शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।

- (4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- (5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यों को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी/निकाय का नाम	जिलाधिकारी/जनपद
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सीरसी	जिलाधिकारी, संभल
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कप्तानगंज	जिलाधिकारी, कुशीनगर
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कसया	जिलाधिकारी, कुशीनगर
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, हाटा	जिलाधिकारी, कुशीनगर
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, दरियाबाद	जिलाधिकारी, बाराबंकी
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सिद्धौर	जिलाधिकारी, बाराबंकी
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सतरिख	जिलाधिकारी, बाराबंकी
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, देवां	जिलाधिकारी, लखनऊ
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, साहनपुर	जिलाधिकारी, बिजनौर
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, झालू	जिलाधिकारी, बिजनौर
11	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बढापुर	जिलाधिकारी बिजनौर
12	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत जलालाबाद	जिलाधिकारी बिजनौर
13	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत खानपुर	जिलाधिकारी बुलन्दशहर
14	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बी.बी.नगर	जिलाधिकारी बुलन्दशहर
15	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बुगरासी	जिलाधिकारी बुलन्दशहर
16	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत नरौरा	जिलाधिकारी बुलन्दशहर
17	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत कुसमरा	जिलाधिकारी, मैनपुरी
18	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत किशनी	जिलाधिकारी मैनपुरी
19	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत घिरौर	जिलाधिकारी मैनपुरी
20	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत भौगांव	जिलाधिकारी मैनपुरी
21	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत करहल	जिलाधिकारी मैनपुरी
22	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बेवर	जिलाधिकारी मैनपुरी

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 31 जनवरी, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी०पी०आर० उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः

निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पंचायतों के सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशायी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 05.02.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी/निकाय का नाम	कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में)
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सीरसी	30.00
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कप्तानगंज	30.00
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कसया	60.00
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, हाटा	30.00
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, दरियाबाद	40.00
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सिद्धौर	30.00
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सतरिख	30.00
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, देवां	30.00
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, साहनपुर	20.00
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, झालू	40.00
11	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बढापुर	20.00
12	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत जलालाबाद	20.00
13	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत खानपुर	25.00
14	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बी.बी.नगर	20.00
15	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बुगरासी	20.00
16	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत नरौरा	40.00
17	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत कुसमरा	40.00
18	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत किशनी	35.00
19	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत घिरौर	25.00
20	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत भौगांव	25.00
21	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत करहल	35.00
22	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बेवर	30.00

2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।

- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रू0 40.00 लाख तक के आगणन का अधिशाषी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।
- (4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- (5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यों को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी/निकाय का नाम	जिलाधिकारी/जनपद
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, तुलसीपुर	जिलाधिकारी, बलरामपुर
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कादीपुर	जिलाधिकारी, सुल्तानपुर
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, दोस्तपुर	जिलाधिकारी, सुल्तानपुर
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सिसवाबाजार	जिलाधिकारी, महाराजगंज
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, खरेला	जिलाधिकारी, महौबा
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, ओरन	जिलाधिकारी, बांदा
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, रिसिया	जिलाधिकारी, बहराइच
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, रामपुर कारखाना	जिलाधिकारी, देवरिया
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सिधौली	जिलाधिकारी, सीतापुर
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, तालग्राम	जिलाधिकारी, कन्नौज
11	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत सहजनवा	जिलाधिकारी गोरखपुर
12	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत कुन्दरकी	जिलाधिकारी मुरादाबाद
13	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत कांठ	जिलाधिकारी मुरादाबाद
14	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत जैथरा	जिलाधिकारी एटा

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 31 जनवरी, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी०पी०आर० उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पंचायतों के सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशायी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 05.02.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी/निकाय का नाम	कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में)
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, तुलसीपुर	35.00
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कादीपुर	35.00

3	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, दोस्तपुर	35.00
4	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, सिसवाबाजार	25.00
5	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, खरेला	20.00
6	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, ओरन	20.00
7	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, रिसिया	20.00
8	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, रामपुर कारखाना	40.00
9	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, सिधौली	20.00
10	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, तालग्राम	40.00
11	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत सहजनवा	20.00
12	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत कुन्दरकी	80.00
13	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत कांठ	60.00
14	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत जैथरा	20.00

2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।
- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रू0 40.00 लाख तक के आगणन का अधिकाारी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।
- (4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- (5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-
" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्य को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।

भवदीय,
(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी/निकाय का नाम	जिलाधिकारी/जनपद
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, धौरहरा	जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बरबर	जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, मैलानी	जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, आयलढकवा	जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सरीला	जिलाधिकारी, हमीरपुर
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, गोहाण्डा	जिलाधिकारी, हमीरपुर
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कुरारा	जिलाधिकारी, हमीरपुर
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, चौमुहां	जिलाधिकारी, मथुरा
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बाजना	जिलाधिकारी, मथुरा
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, फरह	जिलाधिकारी, मथुरा
11	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत गोवर्धन	जिलाधिकारी मथुरा
12	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत राधाकुण्ड	जिलाधिकारी मथुरा
13	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बल्देव	जिलाधिकारी मथुरा
14	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत राया	जिलाधिकारी मथुरा
15	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत करारी	जिलाधिकारी कौशाम्बी
16	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत सिराथू	जिलाधिकारी कौशाम्बी
17	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत अझुआ	जिलाधिकारी, कौशाम्बी
18	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत इकौना	जिलाधिकारी श्रावस्ती
19	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत जोया	जिलाधिकारी अमरौहा
20	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत नोगावांसादात	जिलाधिकारी अमरौहा
21	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत कम्पिल	जिलाधिकारी फर्रुखाबाद
22	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत तालबेहट	जिलाधिकारी ललितपुर

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 31 जनवरी, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी0पी0आर0 उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः

निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पंचायतों के सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशायी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 05.02.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी/निकाय का नाम	कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में)
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, धौरहरा	20.00
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बरबर	20.00
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, मैलानी	30.00
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, आयलढकवा	30.00
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सरीला	20.00
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, गोहाण्डा	30.00
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कुरारा	45.00
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, चौमुहां	25.00
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बाजना	25.00
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, फरह	25.00
11	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत गोवर्धन	10.00
12	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत राधाकुण्ड	20.00
13	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बल्देव	25.00
14	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत राया	25.00
15	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत करारी	20.00
16	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत सिराथू	20.00
17	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत अझुआ	20.00
18	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत इकौना	25.00
19	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत जोया	30.00
20	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत नोगावांसादात	20.00
21	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत कम्पिल	20.00
22	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत तालबेहट	20.00

2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।

- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रू0 40.00 लाख तक के आगणन का अधिशाषी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।
- (4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- (5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यो को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी/निकाय का नाम	जिलाधिकारी/जनपद
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, जंगीपुर	जिलाधिकारी, गाजीपुर
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सादात	जिलाधिकारी, गाजीपुर
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सैदपुर	जिलाधिकारी, गाजीपुर
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, दिलदारनगर	जिलाधिकारी, गाजीपुर
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बहादुरगंज	जिलाधिकारी, गाजीपुर
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, हरदुआगंज	जिलाधिकारी, अलीगढ़
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, जट्टारी	जिलाधिकारी, अलीगढ़
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, पिलखनां	जिलाधिकारी, अलीगढ़
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बेसवां	जिलाधिकारी, अलीगढ़
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कटघर लालगंज	जिलाधिकारी, आजमगढ़
11	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत अजमतगढ़	जिलाधिकारी आजमगढ़
12	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत अतरौलिया	जिलाधिकारी आजमगढ़
13	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत निजामाबाद	जिलाधिकारी आजमगढ़
14	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बिलरियागंज	जिलाधिकारी आजमगढ़
15	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत सरायमीर	जिलाधिकारी आजमगढ़
16	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत महाराजगंज	जिलाधिकारी आजमगढ़
17	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत मेहनगर	जिलाधिकारी, आजमगढ़
18	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत फूलपुर	जिलाधिकारी आजमगढ़
19	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बिल्थरा रोड	जिलाधिकारी बलिया
20	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत रेवती	जिलाधिकारी बलिया
21	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बांसडीह	जिलाधिकारी बलिया
22	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरपुर	जिलाधिकारी बलिया

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 31 जनवरी, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी0पी0आर0 उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः

निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पंचायतों के सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशायी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 05.02.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी/निकाय का नाम	कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में)
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, जंगीपुर	30.00
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सादात	30.00
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सैदपुर	30.00
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, दिलदारनगर	30.00
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बहादुरगंज	30.00
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, हरदुआगंज	30.00
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, जट्टारी	30.00
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, पिलखनां	30.00
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बेसवां	30.00
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कटघर लालगंज	40.00
11	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत अजमतगढ	40.00
12	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत अतरौलिया	40.00
13	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत निजामाबाद	40.00
14	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बिलरियागंज	25.00
15	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत सरायमीर	30.00
16	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत महाराजगंज	35.00
17	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत मेहनगर	35.00
18	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत फूलपुर	35.00
19	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बिलथरा रोड	30.00
20	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत रेवती	20.00
21	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बांसडीह	25.00
22	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरपुर	50.00


2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत कि जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।

- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रू0 40.00 लाख तक के आगणन का अधिशाषी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।
- (4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- (5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यो को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।

भवदीय,


(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।



प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी/निकाय का नाम	जिलाधिकारी/जनपद
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, करनावल	जिलाधिकारी, मेरठ
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, किठौर	जिलाधिकारी, मेरठ
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बहसूमा	जिलाधिकारी, मेरठ
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सिवालखास	जिलाधिकारी, मेरठ
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बभनान	जिलाधिकारी, बस्ती
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, हरैया	जिलाधिकारी, बस्ती
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, फरिहा	जिलाधिकारी, फिरोजाबाद
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, हरिहरपुर	जिलाधिकारी, संतकबीरनगर
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, नई बाजार	जिलाधिकारी, संतरविदासनगर
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सुरियावा	जिलाधिकारी, संतरविदासनगर
11	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बेहट	जिलाधिकारी सहारनपुर
12	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत अम्बेहटा	जिलाधिकारी सहारनपुर
13	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत नानौता	जिलाधिकारी सहारनपुर
14	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत पाली	जिलाधिकारी हरदोई
15	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बेनीगंज	जिलाधिकारी हरदोई
16	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत गोपामऊ	जिलाधिकारी हरदोई
17	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत अमिला	जिलाधिकारी, मऊ
18	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना	जिलाधिकारी मऊ
19	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत अदरी	जिलाधिकारी मऊ
20	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत कोपागंज	जिलाधिकारी मऊ

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 31 जनवरी, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी0पी0आर0 उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पंचायतों के

सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशायी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 05.02.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी/निकाय का नाम	कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में)
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, करनावल	25.00
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, किठौर	10.00
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बहसूमा	40.00
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सिवालखास	40.00
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बभनान	20.00
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, हरैया	35.00
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, फरिहा	35.00
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, हरिहरपुर	35.00
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, नई बाजार	35.00
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सुरियावा	30.00
11	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बेहट	20.00
12	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत अम्बेहटा	20.00
13	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत नानौता	20.00
14	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत पाली	40.00
15	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत बेनीगंज	35.00
16	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत गोपामऊ	35.00
17	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत अमिला	35.00
18	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना	35.00
19	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत अदरी	35.00
20	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत कोपागंज	35.00

2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।
- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रु० 40.00 लाख तक के आगणन का अधिशायी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर

शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।

- (4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- (5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यों को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।